IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

झारखंड के ग्रामीण आदिवासी महिलाओं पर प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के प्रभाव का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

रिना कुमारी, शोधार्थी, स्नातकोत्तर समाजशास्त्र विभाग , राँची विश्वविद्यालय राँची

सारांश

हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के हर गरीब महिलाओं को लाभ प्रदान करने के लिए एक योजना का निर्माण किया गया , जिसका नाम उन्होंने उज्ज्वला योजना रखा। इस योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को की गई थी। यह योजना महिलाओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए उन्हें स्वच्छ रसोई ईंधन एल० पी० जी० प्रदान करने के लिए शुरू की गई । इस योजना का लाभ उन झारखंड राज्य के निवासियों को भी मिल रहा है जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं । इस योजना की सहायता से उन ग्रामीण आदिवासी महिलाओं का स्वास्थ्य और जीवन के स्तर में सुधार आएगा । जिनका जीवन काफी निम्न स्तर पर था । ग्रामीण आदिवासी महिलाओं को अपने पुराने धुएं वाली रसोईघर से छुटकारा मिल रहा है। इससे उनके स्वास्थ्य के स्तर में भी सुधार संभव ही आएगा। इस प्रकार देखा जाए तो महिलाओं की स्थिति में सुधारात्मक बदलाव लाने में इस योजना का महत्वपूर्ण योगदान है ।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पर अभी अनेको सुधारात्मक कार्य चल रहा है। हाल ही में 10 अगस्त 2021 को पीएम नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत की है। इस 2.0 योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को पहला रिफिल और चूल्हा मुफ्त में दिया जायेगा। इस प्रकार भविष्य में परिस्थिति को देखते हुए इस योजना में और भी परिवर्तन लाया जाएगा जिससे कि विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं के जीवन में सुधारात्मक परिवर्तन आएगा।

मुख्य शब्द - प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ग्रामीण आदिवासी महिला , एल० पी० जी० , सुधारात्मक बदलाव ।

विधि – द्वितयक स्रोत

उदेश्य – ग्रामीण आदिवासी महिलाओ पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के प्रभाव का अध्ययन करना ।

भूमिका

झारखण्ड भारत का 28 वॉ राज्य है। इसका उदय नवीन राज्य के रूप में 15 नवम्बर 2000 ई को हुआ। यह एक आदिवासी बहुल राज्य है। झारखण्ड का प्रथम साहित्यिक उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है जिसमें इस क्षेत्र को पुण्ड या पुण्डू नाम से जाना जाता था। यहाँ की जलवायु सुखद, शीतल एवं स्वास्थ्य वर्द्धक है। यहाँ 29.6 प्रतिशत भाग में जंगल है जिनमें अनेक प्रकार के उपयोगी वृक्ष, वनस्पतियाँ, जडी–बूटी, फल–फूल, सागपात कंद–मूल पाए जाते हैं। वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए राज्य में अभ्यारणय एक नेशनल पार्क तीन चिडिया घर है। झारखण्ड की जनजातियों को आदिवासी, आदिम जाति, वनवासी, गिरिजन तथा अनुसूचित जनजाति आदि कई नामो से पुकारा जाता है। प्रजातीय तत्व के आधार पर इन्हें प्रोटो आस्ट्रेलायड वर्ग में रखा गया है। (1)

झारखण्ड के मूल निवासी सरना को अधिक महत्वपूर्ण मानते है।इन्हें प्रकृति पूजक कहा जाता है।यहाँ की जनजातीय अर्थव्यवस्था एकाकी नहीं है। कई धंधे साथ–साथ चलते है। कृषि अर्थव्यवस्था का मूलाधार है किन्तु जीवकोपार्जन के अन्य साधन भी अपनाये जाते है। जैसे वनोत्पाद संग्रह, शिकार करना मछली मारना, पशुपालन, सूअर मुर्गी पालन, शिल्पकारी और मजदूरी आदि ।(2)

झारखण्डी संस्कृति विशुद्ध आदिवासी संस्कृति है। इनकी संस्कृति में जाति पाति का भेद भाव मानव–मानव में ऊँच नीच की भावना आदि नहीं है। झारखण्ड के आदिवासियों की संस्कृति, नाच गान, रीति–रिवाज आचार–विचार, टोटमिक सम्बन्ध आदि जल, जंगल तथा जमीन से जुड़े हुए है। यदि उनके पास जल, जंगल, जमीन ही न रहे तो उनकी संस्कृति, सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक धरोहर नष्ट हो जायेगी। 3

झारखंड जनजातियों का प्रदेश है । जब तक जनजातियों का परिचय न हो तब तक झराखंड का पहचान आधुर है । झराखंड मे 32 प्रकार की जनजातीय निवास करती है।

राल्फ लिंटन के अनुसार , सरलतम रूप में जनजाति ऐसी डोलियों का एक समूह है जिसका एक सानिध्य वाले भूखंडों पर अधिकार हो और जिनमें एकता की भावना संस्कृति में ग्रहण समानता निरंतर संपर्क तथा सामुदायिक हितों में समानता से उत्पन्न हुई हो ।

बोआस आर्थिक आत्मनिर्भरता को जनजाति की प्रमुख विशेषता मानते हुए लिखा है , जनजाति से हमारा तात्पर्य आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर व्यक्तियों के ऐसे समूह से है जो सामान्य भाषा बोलती है तथा बाहरी लोगों से अपनी रक्षा करने के लिए संगठित रहता है ।

मजूमदार के अनुसार ,कोई जनजाति परिवारों का ऐसा समूह है जिसका एक समान नाम है जिनके सदस्य एक निश्चित भूभाग पर निवास करते हैं तथा विवाह व्यवसाय के संबंध में कुछ निषेधाज्ञाओं का पालन करते हैं ।

धुरिये के अनुसार ,भारत में जनजाति पिछड़े हुए हिंदू हैं।[4]

वैसे तो पुरुषो को घर परिवार की धुरी माना जाता है । लेकिन अगर सही मायने में कोई घर को संभालती तो वो महिलाएं ही है ।यह चिंतनीय है की पुरुष ज्यादा संघर्ष कर के महिलाओं के अपने जेमेदारियो का सही से निर्वाह करने के बावजूद उनको कम सम्मान मिलता है।उनका हक भी उनको नहीं मिलता है ।

ग्रामीण आदिवासी महिलाएं पुरुष की तुलना में अधिक कार्य करती है जबकि पुरुष तो सिर्फ बाहर का कार्य करते है और महिला बाहर के कार्य के साथ साथ घर का भी कार्य करती है । भोजन के लकड़ी लेने से ले कर भोजन पका कर सब को खिलाना बर्तन धोना और घर की साफ सफाई का काम भी करती है। यदि बच्चे है तो उनको वह तैयार करती है फिर महिलाएं मनरेगा के तहत मिलने वाले कामों में मजदूरी करने भी जाती है। तालाब से मिट्टी खोदना हो या पुलिया आदि का निर्माण करना हो सभी में महिलाएं अपना योगदान बढ़दृ चढ़ कर देती है। पुरुषों से ज्यादा संघर्ष और कार्य करती है।

आदिवासी महिलाएं तन मन धन से अपने परिवार की सेवा करते हैं फिर भी मेहनत का सारा श्रेय पुरुष ले जाते है ।उनको उचित सम्मान नहीं मिल पाता है।[5]

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारम्भ किया। इस योजना के माध्यम से गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 5 करोड़ परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए जान` का लक्ष्य था जिसे 3 साल में यानि कि 2019 तक पूरा किया जाना था बाद में इस योजना का लाभ 8 करोड़ करोड़ परिवारों तक पहुँचाने का लक्ष्य 2020 तक रखा गया। इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे परिवार की महिला के नाम से गैस कनेक्शन जारी किया जाता है। इस योजना के तहत लाभार्थी को गैस कनेक्शन मुफ्त दिया जाता है किन्तु गैस चूल्हा एवं पहली बार गैस को भराने का खर्च लगभग 1500 रुपये लाभार्थी को देने होते हैं। यदि लाभार्थी इस खर्च को वहन करने में असमर्थ है तो उसके लिए इस खर्च को चुकाने के लिए क़िस्त कि भी सुविधा दी जा सकती है जिसे बाद में सब्सिडी के माध्यम से भरपाई कर ली जाती है। लाभार्थी को तब तक सब्सिडी नहीं मिलती है जब तक उसका गैस चूल्हा/स्टोव एवं पहली बार गैस भरने का खर्च पूरा न हो जाये। जब यह पूरा हो जायेगा तो लाभार्थी को सब्सिडी का लाभ उसके बैंक खाते में जाने लगेगा।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मुफ्त गैस योजना है जो विशेषकर महिलाओं के लिए उपयोगी है। झारखंड देश का पहला राज्य है जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अपने राज्य के निवासियों को के मिलिए में गैस चूल्हा उपलब्ध करवाया है। इस योजना के लागू होने से ग्रामीण महिलाओं का जो समय पारंपरिक ईंधन लकड़ी, गोबर के उपले, फसलों के अपशिष्ट आदि इकठठा करने में लगता था वह अब किसी अन्य सामाजिक आर्थिक कार्य में लगता है जिससे उनके सामाजिक आर्थिक स्तर में सुधार हुआ है। ग्रामीण महिलाओं को पारंपरिक ईंधन से भोजन पकाने में बहुत सारे धुंए का सामना करना पड़ता था जिससे उन्हें स्वांस सम्बन्धी, फेफड़े से सम्बंधित, आँख सम्बन्धी एवं कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बना रहता था। घर के अन्दर वृद्ध, गर्भवती महिला और बच्चें हैं तो उन पर ये हानिकारक धुंआ अत्यधिक खतरनाक प्रभाव डालता है। इस योजना में गैस कनेक्शन महिला के नाम से ही जारी होता है। लाभार्थी महिला का राष्ट्रीय

बैंक का खाता रसोई गैस कनेक्शन से जोड दिया जाता है जिसमें गैस की सब्सिडी दी जाती है जो दोबारा गैस भरवाने में काम आती है। सब्सिडी महिला के बैंक खाते में आने से परिवार में उसकी भागीदारी निर्णय लेने में बढ़ जाती है और जो महिला पहले घर के कामों में ही लगी रहती थी। अब वह अपने घर के आँगन से निकल कर बाजार तक सब्सिडी का रुपये निकलने के लिए जाती है जिससे उसकी पहुँच न सिर्फ बाज़ार तक हुई है बल्कि उनका इसी बहाने सशक्तिकरण भी हो रहा है। किसी भी समाज को प्रगति करने के लिए उसका स्वस्थ रहना अति आवश्यक है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से महिलाओं, बच्चों एवं घर के वृद्धों के स्वास्थ्य पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। पारंपरिक ईंधन के प्रयोग को बंद करके अब गरीबी रेखा से नीचे के ग्रामीण परिवार रसोई गैस का प्रयोग करते हैं जिससे हमारे पर्यावरण को भी स्वच्छ बनाने में मदद मिली है।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ पाने के लिए आवश्यक प्रक्रिया एवं दस्तावेज

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की 18 साल से अधिक उम्र की महिला के नाम से गैस कनेक्शन जारी किया जाता है। सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना 2011 कि सूची में जिन परिवारों के नाम है उनके परिवार कि महिला के नाम से गैस कनेक्शन जारी किया जाता है। इस योजना क` लिए आवेदन फॉर्म प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कि वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है या अपने नजदीकी एल.पी.जी विक्रय केंद्र से प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के लिए गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे परिवार का राशन कार्ड, सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना 2011 की सूची का फोटो कॉपी, पासपोर्ट साइज़ फोटो, आधार कार्ड, राष्ट्रीय बैंक का खाता, राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित स्वघोषणा पत्र जैसे जरूरी दस्तावेज लगते हैं। साथ ही साथ यह भी जरूरी होता है
कि उस परिवार में पहले से कोई गैस कनेक्शन किसी अन्य सदस्य के नाम से न हो। लाभार्थी को फॉर्म भरते हुए यह बताना पड़ता है कि 14.2 किलोग्राम का कनेक्शन चाहिए या 5 किलोग्राम का कनेक्शन
चाहिए। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को मात्र कन`क्शन फ्री दिया जायेगा जबकि गैस स्टोव और पहली बार गैस भरवाने के खर्च को लाभार्थी को स्वयं देना पडता है और यदि लाभार्थी इसे देने मे` असमर्थ है तो उसे किस्त कि सुविधा भी दी जाती है जो उनकी सब्सिडी से काटी जाएगी जब यह पूरा हो जायेगा तो लाभार्थी कि सब्सिडी उसके खाते में जाने लगेगी।[6]

रमन देवी (2017) ने अपने शोध लेख Pradhanmantri Ujjwala Yojana: Issues and Challenges में विश्व स्वास्थ्य संगठन कि रिपोर्ट के आधार पर पारंपरिक ईंधन से होने वाले स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रभावों पर प्रकाश डाला है, इन्होंने पारम्परिक ईंधनों जैसे लकड़ी, गोबर के उपले आदि पर खाना पकाने से पर्यावरण पर पड़न` वाले प्रभावो` को रेखांकित किया है। इस लेख के अनुसार भारत में गरीबों तक गैस पहुँचाना एक महत्वपूर्ण कदम है जिससे समय की बचत होगी तथा साथ ही स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।[7]

एन. अहमद ,श्लग्या शर्मा, डॉ. अंजनी कुमार सिंह (2008) ने सम्मिलित रूप से लिखें आपने अपने एक लेख Pradhanmantri Ujjwala Yojana (PMUY) Step towards social inclusion in India में यह र`खांकित किया है कि यह योजना गरीबों क` लिए समावेशी उपक्रम कि ओर बढ़ता हुआ एक बड़ा कदम है। इस योजना के लागू होने से न सिर्फ गरीब महिलाओं को अस्वच्छ ईंधन एकत्रित करने से मुक्ति मिली है बल्कि भोजन पकाने में जो समय लगता है उसमें भी कमी आयेगी। इस शोध लेख क` माध्यम से ये बताया गया है कि यह योजना क्या है ? किसको इसका लाभ मिलेगा ?

इस योजना के लागू होने से क्या लाभ है ? इस योजना का महिला सशक्तिकरण, स्वस्थ समाज बनाने में एवं स्वच्छ पर्यावरण बनाने में योगदान की भी चर्चा की है।[8]

ग्रामीण आदिवासी महिलाओं पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का प्रभाव

इस योजना का लाभ ग्रामीण आदिवासी महिलाओं पर सकारात्मक रूप में पड़ा है। निम्नलिखित बिंदुओं के द्वारा प्रभाव स्पष्ट है।

1) ग्रामीण आदिवासी महिलाएं पहले की तुलना में अधिक सशक्त हो रही है।

2) प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को जो लाभ मिला है वह उनके जीवन स्तर में सुधार ला रहा है।

3) इस योजना के लागू होने से ग्रामीण महिलाओं का जो समय पारंपरिक ईंधन लकड़ी, गोबर के उपले, फसलों के अपशिष्ट आदि इकठठा करने में लगता था वह अब किसी अन्य सामाजिक आर्थिक कार्य में लगता है जिससे उनके सामाजिक आर्थिक स्तर में सुधार हुआ है।

4) ग्रामीण आदिवासी महिलाओं को इस योजना के द्वारा समय की बचत हुई है।

5) ग्रामीण आदिवासी महिलाओं के परिश्रम में राहत मिली।

6) इस योजना के द्वारा ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक सहयोग मिला है ।

7) महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं कम हुई है विशेषकर सांस और फेफड़े जैसी गंभीर बिमारियों से महिलाओं को राहत मिला है।

8) ग्रामीण परिवार रसोई गैस का प्रयोग करते हैं जिससे हमारे पर्यावरण को भी स्वच्छ बनाने में मदद मिली है।

9) उज्ज्वला योजना से महिलाओं, बच्चों एवं घर के वृद्धों के स्वास्थ्य पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है।

निष्कर्ष

ग्रामीण आदिवासी महिलाओं पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का प्रभाव सकारात्मक रूप में पड़ा है। इस योजना के प्रभाव से महिलाएं सशक्त हो रही हैं। महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित जो समस्याएं थी उन पर भी इस योजना का प्रभाव है इस योजना के तहत महिलाओं को रसोई गैस उपलब्ध कराई जा रही है पता उन्हें अब भोजन पकाने की पौराणिक विधियों से छुटकारा मिल रहा है उन्हें अब रसोई घर में धूंवा का सामना नहीं करना पड़ेगा जिससे उन्हें बीमारियों से छुटकारा मिलेगा इसके साथ ही कम समय में भोजन तक जाने से उनके पास अतिरिक्त समय अवधि बस जाएगी जिसका वह उपयोग कर सकेंगी । इस प्रकार स्पष्ट है कि ग्रामीण आदिवासी महिलाओं के जीवन स्तर को सुधार लाने में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना का महत्वपूर्ण योगदान है।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मुफ्त गैस योजना है जो विशेषकर महिलाओं के लिए उपयोगी है। का लाभ महिलाओं के जीवन पर पड़ा है। इस योजना के लागू होने से ग्रामीण महिलाओं का जो समय पारंपरिक ईंधन लकड़ी, गोबर के उपले, फसलों के अपशिष्ट आदि इकठठा करने में लगता था वह अब किसी अन्य सामाजिक आर्थिक कार्य में लगता है जिससे उनके सामाजिक आर्थिक स्तर में सुधार हुआ है। ग्रामीण महिलाओं को पारंपरिक ईंधन से भोजन पकाने में बहुत सारे धुंए का सामना करना पड़ता था जिससे उन्हें स्वांस सम्बन्धी, फेफड़े से सम्बंधित, आँख सम्बन्धी एवं कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बना रहता था। घर के अन्दर वृद्ध, गर्भवती महिला और बच्चें हैं तो उन पर ये हानिकारक धुंआ अत्यधिक खतरनाक प्रभाव डालता है। इस योजना में गैस कनेक्शन महिला के नाम से ही जारी होता है। लाभार्थी महिला का राष्ट्रीय बैंक का खाता रसोई गैस कनेक्शन से जोड दिया जाता है जिसमें गैस की सब्सिडी दी जाती है जो दोबारा गैस भरवाने में काम आती है। सब्सिडी महिला के बैंक खाते में आने से परिवार में उसकी भागीदारी निर्णय लेने में बढ़ जाती है और जो महिला पहले घर के कामों में ही लगी रहती थी। अब वह अपने घर के आँगन से निकल कर बाजार तक सब्सिडी का रुपये निकलने के लिए जाती है जिससे उसकी पहुँच न सिर्फ बाज़ार तक हुई है बल्कि उनका इसी बहाने सशक्तिकरण भी हो रहा है। किसी भी समाज को प्रगति करने के लिए उसका स्वस्थ रहना अति आवश्यक है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से महिलाओं, बच्चों एवं घर के वृद्धों के स्वास्थ्य पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। पारंपरिक ईंधन के प्रयोग को बंद करके अब गरीबी रेखा से नीचे के ग्रामीण परिवार रसोई गैस का प्रयोग करते हैं जिससे हमारे पर्यावरण को भी स्वच्छ बनाने में मदद मिली है।

सुझाव . प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को सभी महिलाओं की रसोई घर तक पहुंचाने की आवश्यकता है। इसे और विशाल रूप प्रदान करने की आवश्यकता है। झारखंड राज्य की ग्रामीण महिलाओं को जो इस योजना से अछूते हैं उन तक इस योजना पहुंचाने के लिए सरकार और आम लोगों को भी प्रयत्न करना चाहिए। ग्रामीण आदिवासी महिलाओं का जीवन बहुत ही संकट पूर्ण होता है अगर ऐसे में उन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ मिलेगा तो उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा।

संदर्भ सूची

1) शर्मा विमला चरण (2014) झारखण्ड जनजातियाँ झारखण्ड झरोखा, राँची पेज संख्या 15 से 18

2) वही पुस्तक पेज संख्या – 26 से 31

3) साहु चतुर्भुज (2012) झारखण्ड की जनजाति के के पब्लिकेशन इलाहाबाद पेज संख्या – 19 से 21

4) https://www.kailasheducation.com/2019/09/janjati-arth-paribhasha-visheshta.html

5) https://www.adivasilivesmatter.com/post/know-how-rural-tribal-women-live-their-struggling-life

6)www.ijcrt.org@2020 volume8,issue 11 november 2020 , issn:2320-2882 ijcrt2011425

7) Devi, R. (2017). Pradhan Mantri Ujjwala Yojana : Issues and challenges. International Journal Of Academic Research and Development, 2, 705-706.

8) N. Ahmad, Sharma, S. et al . (2018). Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (PMUY) Step towards Social Inclusion in India. International Journal of trend un Research and Development, 5, 46-49.